

कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (कक्ष भू-प्रबंध), सतपुड़ा भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल
क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/2089 भोपाल, दिनांक 23/05/23
प्रति,

उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II),
पश्चिम रेल्वे, बड़ोदरा।

विषय:- धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु अलीराजपुर वन मण्डल की 6.654 हेक्टेयर वनभूमि एवं धार वन मण्डल की 237.385 हेक्टेयर वनभूमि कुल 244.039 हेक्टेयर वनभूमि (ऑनलाईन आवेदित 248.329 हे.) पश्चिम रेल्वे बड़ोदरा, को उपयोग पर देने बाबत। (FP/MP/RAIL/154962/2022)

संदर्भ:- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल का पत्र क्रमांक/6-MPR 015/2023-BHO/ दिनांक 22.05.2023

-----0-----

उपरोक्त संदर्भित पत्र का अवलोकन करें, त्वरित संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है। भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भोपाल ने प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति जारी करने के पूर्व 18 बिन्दुओं पर जानकारी चाही गई है।

अतः प्रकरण में भारत सरकार के चाहे अनुसार आपसे संबंधित बिन्दुओं की जानकारी वन मण्डलाधिकारी के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

(सुनील अग्रवाल)

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्य प्रदेश, भोपाल

पृ. क्रमांक/एफ-5/1259/2023/10-11/2090
प्रतिलिपि:-

भोपाल, दिनांक 23/05/23

1. मुख्य वन संरक्षक (क्षेत्रीय), इन्दौर वृत्त, इन्दौर, मध्यप्रदेश।

2. वनमण्डलाधिकारी, सामान्य वन मण्डल, धार एवं अलीराजपुर, मध्यप्रदेश।

की ओर उपरोक्त संदर्भित पत्र की छायाप्रति संलग्न कर लेख है कि आपसे संबंधित बिन्दुओं की जानकारी एवं आवेदक संस्थान से बिन्दुवार जानकारी प्राप्त कर एकजाई जानकारी इस कार्यालय को भिजवायें, ताकि प्रकरण में स्वीकृति प्राप्त करने की कार्यवाही की जा सके।

संलग्न:-उपरोक्तानुसार।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
मध्यप्रदेश, भोपाल



सत्यमेव जयते

भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE

एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल/ INTEGRATED REGIONAL OFFICE, BHOPAL
Kendriya Paryavaran Bhavan, Link Road No.3, E-5, Ravi Shankar Nagar,

BHOPAL - 462016 (M.P.)

TEL: 0755-2466525 E-mail: rowz.bpl-mef@nic.in



क्रमांक: 6-एमपीआर 015/2023-बीएचओ/
प्रति.

दिनांक : 22/05/2023.

प्रधान सचिव (वन)

मध्यप्रदेश शासन,

वल्लभ भवन, भोपाल,

(मध्यप्रदेश) ।

विषय: धार एवं अलीराजपुर जिले में छोटा उदयपुर-धार नई ब्रॉडगेज रेलवे लाईन के निर्माण हेतु 244.039 हेक् टैयर (6.654 हे. अलीराजपुर वनमण्डल एवं 237.385 हे. धार वनमण्डल) वनभूमि उप मुख्य अभियंता (निर्माण-II) पश्चिम रेलवे बड़ोदरा को उपयोग पर देने बाबत ।

संदर्भ: नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश का पत्र क्रमांक एफ-5/1259/2023/10-11/1712 दिनांक 27/04/2023.
महोदय,

उपरोक्त विषयक एवं संदर्भित पत्रों के संदर्भ में अधोहस्ताक्षरी को यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रस्ताव से संबंधित अन्य वांछित जानकारियाँ/स्पष्टीकरण की आवश्यकता है । अतः निम्नलिखित जानकारियाँ/ दस्तावेज प्रेषित करने का कष्ट करें :-

1. Full KML file of layout plan of forest area and non forest area (full project KML file) shall be submitted/uploaded.
2. It is a new railway line project, so alternative alignment with comparative statement shall be submitted.
3. KML file for alternative alignment shall be submitted/uploaded.
4. Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO shall be submitted.
5. Justification for location of the project in forest land (counter signed by DFO) shall be submitted/uploaded.
6. No objection certificates of concerned department (Road, WRD, TL, etc) shall be submitted.
7. The submitted Cost-Benefit analysis is not for this proposal and not as per revised NPV rates. So, revised Cost-Benefit analysis shall be submitted.
8. Component wise breakup of land required and component wise area calculation with the layout plan shall be submitted.
9. Administrative approval/ sanction letter from competent authority of the project shall be submitted.
10. As per the covering letter of proposal, the UA violated the rules and constructed the line in 4.50 ha of forest area (about 695 m) in Alirajpur Forest Division. Regarding Action Taken Report shall be submitted.


6-MPRO15/2023-BHO

1/44099/2023

11. The proposed diversion area is 05 (five) meter away from Lalgah Fort and 500 meter away from Ganga Mahadev temple. Regarding NOC from competent authority shall be submitted.
12. As per SIR of Dhar DFO, some dependent persons are involved in proposed diversion area. Regarding rehabilitation plan shall be submitted.
13. The permanent employment generation is zero and temporary men days are only 1500. It shall be clarified.
14. Complete CA schemes & Maps alongwith a patch of 12.00 ha of Dhar Division shall be uploaded.
15. The KML area for CA of Dhar division does not matched with their CA scheme. So, the KML files shall be uploaded in accordance to CA schemes.
16. KML file of CA area for Alirajpur forest division shall be uploaded on web portal.
17. As per DSS analysis, the CA area of Sardarpur PF-459 is overlapping with another proposal of CA area (FP/MP/TRANS/156656/2022, Area 6.45 ha). The DFOs shall recheck all CA areas & rectified the same and also submit a certificate that CA areas are not overlapping with another CA.
18. As per DSS analysis, CA areas have 38.32 ha agriculture encroachment and 6.39 ha has previous plantation impression. It shall be clarified.

उपरोक्त जानकारी प्राप्त होने के पश्चात ही प्रस्ताव में आगामी कार्यवाही की जायेगी ।

भवदीय


22-5-23
(हरे राम कुमार)

तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि: प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध) एवं नोडल अधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, सतपुडा भवन, भोपाल ।

Signed by Hare Ram Kumar

Date: 22-05-2023 18:32:29

Reason: Approved